न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 26 / 216 वर्ष 2016

जीसीएमएस संख्याः– (2016 / 00220

बउनवानीः–1. बाबूलाल पुत्र मंगल्या (मृतक)ग्राम झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा

1 / 1. कमलेश पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 2. चेतराम पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 3. भागचन्द पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 4. बनवारी पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 5. सोनू पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 6. अशोक पुत्र स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

1 / 7. प्रेम पत्नि स्व0 बाबूलाल बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

2. भजन पुत्र मंगल्या बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

3. कमला पत्नि भजन बैरवा निवासी झोपडा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. मुरारी पुत्र सोना उर्फ सोन्या नाथ निवासी झौपडा तहसील चौथ का बरवाडा
2. गिरधारी पुत्र सोना उर्फ सोन्या नाथ निवासी झौपडा तहसील चौथ का बरवाडा
3. हंसराज पुत्र सोना उर्फ सोन्या नाथ निवासी झौपडा तहसील चौथ का बरवाडा
4. घनश्याम पुत्र सोना उर्फ सोन्या नाथ निवासी झौपडा तहसील चौथ का बरवाडा
5. कल्याणी पत्नि सोना उर्फ सोन्या नाथ नि0 झौपडा तहसील चौथ का बरवाडा
6. तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1975 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री हरिमोहन जाट वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 23.8.2024**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1975 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। वकील अप्रार्थी द्वारा पैरवी करने से इन्कार किया गया। तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थी पक्ष सुनी गयी एवं प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 मंगल्या को आराजीयात ख0न0 300 मे से दिनांक 11.11.1964 को 10 बीघा भूमि आवंटित हुई है प्रार्थीगण अपने पिता के समय से उक्त भूमि जो कि बीहड के रूप मे थी जिसको मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है वर्ष 2002 मे प्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि के पास की लगती हुई भूमि आराजी ख0न0 595 मे से 5 बीघा भूमि भजन एवं कमला के नाम आवंटित हुई है। प्रार्थीगणों ने दोनो भूमियों को एक चक बनाकर चारो ओर बाउण्ड्रवाल कर रखी है जिसमे 1997 ... कुआ खुदवा ... से सिचाई कर रहे है। एवं इसी भूमि पर कृषि उपकरण एवं मवेशियो का चारा ... न ... रहने का अस्थायी निवास है। अप्रार्थीगण ने 1975 मे किसी आवंटन आदेश ... करवाकर नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीगण की भूमि मे से 5 बीघा भूमि अपनी खातेदारी ... बताकर व्यर्थ विवाद ... किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

गया है। जिसके विरूद्व राजस्व न्यायालय मे इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश कर रखा है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थीगण एवं उनके पिता ने आवंटन आदेश की शर्तो का पालन नही किया गया है। यह भी तर्क दिया कि आवंटन प्रार्थना पत्र मे जिस ख0न0 312 का आवंटन चाहा गया है जिसके स्थान पर 325/2 का आवंटन किया गया है अर्थात जिस खसरे का आवंटन चाहा गया है वह खसरा आवंटित नही कर अन्य खसरा आवंटित किया गया है । यह तर्क भी दिया प्रार्थीगणों का आवंटन 1964 एवं वर्ष 2002 मे हुआ है एवं कब्जा रिपोर्ट के अनुसार जिस स्थान एवं ख0न0 नम्बर मे आवंटन हुआ है इस स्थान पर पटवारी हल्का ने जाकर कब्जा दिया है एवं आज तक प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण को आवंटित भूमि पर लम्बे समय से गुर्जर समुदाय का कब्जा काश्त है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थीगण के पिता को दिनांक 21.10.1975 को आवंटन हुआ है ओर उसी दिनांक को मौके पर जाकर कब्जा दिया जाना बताया है जो सम्भव नही है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का आवंटन 11.11.1964 का है तथा दिनांक 13.12.1964 को कब्जा दिया गया है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा भिजवायी गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार भी साबिक ख0न0 325/2 रकबा 5 बीघा से बने हाल ख0न0 597/2759 रकबा 1.26 है0 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जिसपर खातेदारान का कब्जा नही होकर हम प्रार्थीगणो का 0.50 है0 पर कब्जा काश्त बताया गया है तथा शेष भूमि 0.76 है0 मौके पर खाली बतायी गयी है जो उबड खाबड है जिसपर बबूल के पेड खडे है। अर्थात आवंटित भूमि को अप्रार्थीगण के पिता या अप्रार्थीगणो द्वारा आज दिनांक तक काश्त नही की गयी है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना मे यह तथ्य अंकित किया है कि आवंटन के किन नियमो की पालना नही की गयी है तथा यह आवश्यक नही है कि आवंटन प्रार्थना पत्र में जो खसरा नम्बर मांगा जावे वही खसरा नम्बर आवंटित किया जावे। जो खसरा नम्बर वरवक्त आवंटन कमेटी ने आवंटन योग्य माना उसे आवंटन कर दिया जिसमे कोई अनियमितता या अवैधानिकता नही है। प्रार्थीगण वर्ष 1964, 2002, 1975 में आवंटन अपने पक्ष में होना कथन किया है उन्हे कब्जा कब व किसने दिया अंकित नही किया है ओर उनको कब्जा देने के आधार पर मेरा आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। यदि प्रार्थीगण की भूमि पर गुर्जर समुदाय का कब्जा है तो हम अप्रार्थीगण क्या कर सकते है। यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण सेटलमेंट की कार्यवाही को गलत बताते है तो अगर सेटलमेंट ने मौके व कब्जे अनुसार नक्शे मे तरमीम नही करने के कारण प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के पक्ष मे हुए आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकार नही है। यदि उनकी भूमि पर गुर्जर समुदाय का कब्जा है तो फिर कब्जे के अभाव मे उनका आवंटन ही खारिज योग्य है। प्रार्थीगण आज भी उनको आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है, हम अप्रार्थीगणों का दीगर गांव मे रहने से आवंटन आदेश निरस्त नही किया जा सकता है। यह भी अंकित किया कि आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के लगभग 41 वर्ष बाद एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त केवल मात्र मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) करवाये गये आवंटन को ही निरस्त किया जा सकता है। केवल मात्र तकनीकी त्रुटियों पर इतने वर्ष बाद अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे किये गये विधिसम्मत आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही है इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने बाबत अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:42:36 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह पाया गया है कि वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि को इसलिए विधि विरूद्व बताया गया है कि आवंटन के आवेदन पत्र मे अप्रार्थी के पिता द्वारा ख0न0 312 की भूमि मे से आवंटन चाहा गया था किन्तु आवंटन ख0न0 325/2 मे से 5 बीघा भूमि का किया गया है उक्त भूमि पर आवंटन के समय से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थीगणो का कब्जा काश्त रहा है उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणो का आवंटन से लेकर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन हुआ है इसलिए आवंटन खारिज होने योग्य बताया गया हैं। वकील अप्रार्थीगण के अनुसार भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र में कोई भी ख0न0 अंकित कर सकते है, आवंटन कमेटी द्वारा तत्समय मौके पर उपलब्ध खाली भूमि ही आवंटित की जाती है, केवल मात्र आवंटित भूमि के लिए आवेदन नही किये जाने के आधार पर आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण के कथनानुसार सेंटलमेट विभाग द्वारा गलत कार्यवाही कर नक्शा ट्रेस मे जिस स्थान पर प्रार्थीगण की भूमि दर्शायी गयी है उस स्थान पर एक लम्बे समय से गुर्जर समुदाय का कब्जा रहा है एवं जिस स्थान पर अप्रार्थीगण की भूमि दर्शायी गयी है उस पर 1964 से प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त बताया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद केवल मात्र मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) करवाये गये आवंटन को ही निरस्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै. इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थीगणो को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी गलती को सक्षम न्यायालय से दुरूस्त करवाना चाहिए। केवल मात्र सेटलमेंट विभाग की गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण के पिता का आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। चूंकि आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है इसलिए आवंटन नियम,1970 की धारा 14(4) के प्रार्थना पत्र के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है, तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद केवल मात्र मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) करवाये गये आवंटन को ही निरस्त किया जा सकता है। यहॉ पर आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1975 की मूल आवंटन मिसल का अवलोकन करने पर आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner